(15)

संख्या सा–3–2211/दस-930-83

प्रेषक,

श्री सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष एवं प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ : दिनांक : 25 नवम्बर, 1988

विषय : सिविल पदों से सेवानिवृत्त एवं पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

वित्त (सामान्य) अनुभाग–3

उपर्युक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या सा–3–1443/दस-930-83, दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 में यह आदेश जारी किये गये थे कि पुनर्योजन की अवधि में सामान्यतया वह नियत वेतन अनुमन्य होगा जो उसके समस्त निवृत्तिक लाभों को सम्मिलित करते हुए अन्तिम आहरित वेतन या पुनर्योजित पद के वेतनमान के अधिकतम जो भी कम हो, से अधिक न हो तथा समस्त निवृत्तिक लाभों से तात्पर्य शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) एवं डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी के पेंशन समतुल्य धनराशि के योग से होता है।

2–इस संबंध में भारत सरकार द्वारा लिये गये निर्णय की दृष्टि में पुनर्योजन की अवधि में वेतन निर्धारण संबंधी उपरोक्त प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के उपरान्त राज्यपाल महोदय ने उक्त संदर्भित शासनादेश का आंशिक संशोधन करते हुए यह आदेश प्रदान किये हैं कि सिविल पदों से सेवानिवृत्त एवं सिविल पदों पर पुनर्योजित सरकारी सेवकों के वेतन निर्धारण के लिये उनके द्वारा अन्तिम आहरित वेतन में से केवल शुद्ध पेंशन (बिना राशिकरण के) की धनराशि ही घटाई जायेगी अर्थात् वेतन निर्धारण करने में डेथ-कम-रिटायरमेन्ट ग्रेच्युटी की पेंशनरी समतुल्य धनराशि अन्तिम आहरित वेतन में से कम नहीं की जायेगी।

3–यह व्यवस्था इस शासनादेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4–उक्त संदर्भित शासनादेश संख्या सा–3–1443/दस-930-83, दिनांक 15 दिसम्बर, 1983 को उपरोक्त सीमा तक संशोधित समझा जायेगा तथा पुनर्योजन की अन्य शर्तें यथावत् लागू रहेंगी।

आज्ञा से,
सोम दत्त त्यागी,
विशेष सचिव।

संख्या सा–3–2211(1)/दस-930-83, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

(1) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रथम एवं तृतीय, इलाहाबाद।
(2) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, द्वितीय, लखनऊ।
(3) सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(4) विधान सभा सचिवालय/विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) राज्यपाल सचिवालय, लखनऊ।
(6) अध्यक्ष/प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश के सरकारी क्षेत्र के उपक्रम/निगम/कम्पनी।

आज्ञा से,
गणेश दत्त दीक्षित,
उप सचिव।

पी.एस. यू.पी.–ए.पी. 17 सा. भाषा–17-12-88–(2443)–1988–10,000(मैंग.)।